

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक
(गौरव अग्रवाल, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

52/2014
27-6-2014

बालचन्द्र पुत्र प्रह्लाद उर्फ रामचिलास जाति गूर्जर निवासी चितानी
तहसील उनियारा जिला टोंक

—अपीलान्ट

बनाम

कालू पुत्र स्वरूपा जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जरिये
दत्तक पुत्र आत्माराम मीना

— रेस्पोंडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा० टि० एक्ट 1956 विरुद्ध निर्णय तहसीलदार
उनियारा, दिनांक 11.06.2014

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री दोलतराम चोधरी अभिभाषक रेस्पोंडेन्टस

आदेश


दिनांक 17-3-2021

अपील का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र अर्न्तगत धारा 183 वीं राज० टि० एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जिसको तहसीलदार ने स्वीकार कर खसरा नम्बर 8/882 रकबा 1.90 हैक्टर में से 1.25 है० ग्राम चितानी तहसील उनियारा अपीलान्ट को बेदखल करने, कब्जा रेस्पोंडेन्ट को सम्भालने, व पेनेल्टी कायम करने का निर्णय पारित किया है अपीलान्ट्स ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोंडेन्ट जरिए सम्मन की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एवं अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजरी खसरा नम्बर 8/882 रकबा 1.25 है० पर रेस्पोंडेन्ट का या उसके पूर्वजों का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा बल्कि गत 50-60 साल से लेकर आज तक अपीलान्ट के पूर्वजों का व उसके बाद अपीलान्ट का लगातार शन्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि के हित अपीलान्ट में निहित हो चुके हैं अपीलान्ट के विरुद्ध ऐसी साक्ष्य प्रथम दृष्टया नहीं हैं जिससे कि उक्त भूमि पर उसके द्वारा 12 वर्षों के भीतर नाजायज कब्जा किया हो, इस प्रश्न पर अधिनस्थ न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया तथा कानून का गलत अवलम्ब लेकर अपीलान्टी निर्णय पारित कर दिया जो चलने योग्य




जिला कलेक्टर
टोंक

नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183-बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के गत 12 वर्षों के भीतर-भीतर रेस्पोंडेंट का विवादित भूमि पर कब्जा रहा हो या उसे उबरन ताकत के बल पर बेदखल किया हो ऐसा कोई कथन या साक्ष्य का तत्व मौजूद नहीं है एवं न ही इस सम्बन्ध में कोई फाइन्डिंग दी है कि प्रकरण किस प्रकार अन्दर मियाद है, क्योंकि यदि 12 वर्ष के बाद इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो वह किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। तहसीलदार ने उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 11-6-2014 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोंडेंट के अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमिखसरा नम्बर 8/882 रकबा 1.90 हैक्टर में से 1.25 हैक्टर ग्राम चितानी तहसील उनियारा अपीलान्ट ने कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि का आवेदक एक मात्र खातेदार है और उक्त आराजी से अपीलान्ट्स का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु अपीलान्ट्स जो कि सरजोर लडाकू झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है और इन लोगों ने मिलकर रेस्पोंडेंट्स को कमजोर तथा अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति होने के कारण लट्ट के बल पर भूमि पर कब्जा कर रखा है। रेस्पोंडेंट भूमि पर काश्त नहीं करने देते और लडाईं झगडा कर मारने पर उतारू रहते हैं इस कारण रेस्पोंडेंट्स ने तहसीलदार उनियारा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था तहसीलदार उनियारा द्वारा पारित निर्णय उचित है। अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार उनियारा को पक्षकार नहीं बनाया गया है कि जबकि जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है उसे आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना विधि अनुसार आवश्यक था किन्तु अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार उनियारा को पक्षकार नहीं बनाया गया है। रेस्पोंडेंट अनुसूचित जन जाति मीना समाज का व्यक्ति है, उनकी भूमि पर अपीलान्ट ने अनाधिकृत अतिक्रमण कर रखा है, जिसका उसको कोई कानूनन अधिकार नहीं है। अनुसूचित जाति/जन जाति की भूमि की सुरक्षा हेतु धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधान नियत किया है व इसके प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को रेस्पोंडेंट की खातेदारी की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने व बेदखल कर भूमि का कब्जा रेस्पोंडेंट को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान किया है, उक्त आदेश राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से एवं राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट के पश्चात सम्पूर्ण रूप से विनिश्चय कर साक्ष्य का अवलोकन कर कानूनन रूप से निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 11-6-2014 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17-3-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला न्यायालय, जयपुर
टॉक